UPBS120001652017

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०),खलीलाबाद स्थान– बस्ती।
मूलवाद सं० 109/2017
विजय कुमार बनाम गीता देवी

12.01.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों द्वारा वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। दौरान तर्क पक्षकारों से सुलह समझौते के बारे में पूछा गया, किन्तु अस्वीकार किए जाने की दशा में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गए –

01. क्या वादीगण वादपत्र में उल्लिखित अभिकथनों के आधार पर प्रश्नगत दस्तावेज बैनामा दिनांकित 31.01.2017 को मंसूख कराने पाने के अधिकारी हैं?
02. क्या वादीगण विवादित आराजियात वर्णित सम्पत्ति सूची 'अ' के मालिक व काबिज हैं?
03. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
04. क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
05. क्या प्रस्तुत वाद धारा 34 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
06. क्या दावा वादीगण मौन स्वीकृति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?
07. क्या प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 जा०दी० से बाधित है?
08. क्या प्रस्तुत वाद प्रापर्ली प्रजेन्टेड एवं वेरीफाइड है?
09. क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
10. क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के हकदार हैं?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० 3 व 4 लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

लंच बाद

पत्रावली लंच बाद वादबिन्दु सं० 3 व 4 के निस्तारण हेतु पुनः पेश हुई।

निस्तारण वादबिंदु सं० 3

वादबिंदु सं० 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?

उपरोक्त वादबिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने जरिए वादोत्तर वाद को अल्पमूल्यांकित बताया है, जबकि वादी ने वाद का मूल्यांकन पर्याप्त होना कहा है। वादी ने वादपत्र के मूल्यांकन पैरा में वाद का मूल्यांकन मु० 400/– रूपए किया है। न्यायालय की राय में वाद का मूल्यांकन पर्याप्त प्रतीत होता है। दौरान तर्क प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वाद का मूल्यांकन अन्यथा निर्धारित किया जा सके। अतः वादबिंदु सं० 3 प्रतिवादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वादबिन्दु सं० 4

वादबिन्दु सं० 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उपरोक्त वादबिन्दु का निस्तारण वादबिन्दु सं० 3 के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। न्यायालय द्वारा वादबिन्दु सं० 3 का निस्तारण करते समय वाद का मूल्यांकन पर्याप्त माना गया है। वादी द्वारा उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर ही न्यायशुल्क अदा किया गया है। वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क पर्याप्त प्रतीत होता है। अतः वादबिन्दु सं० 4 प्रतिवादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मय लिस्ट गवाहान दिनांक 03.03.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद, स्थान–बस्ती।

Digitally signed by DIKSHA AGARWAL
Date: 2023.01.12 16:43:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court